



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-01022026-269693
CG-UP-E-01022026-269693

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2026/माघ 9, 1947

No. 388]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2026/MAGHA 9, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 27 जनवरी, 2026

का.आ. 416(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संसोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उप धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप) खण्ड-ii), दिनांक 29 दिसम्बर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर मध्य रेलवे निर्माण विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 6089 (अ) दिनांक 27 दिसम्बर 2025 (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् प्रयागराज – पं दीन दयाल उपाध्याय, तीसरी रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (150 किमी) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की गई थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार अधिनियम की धारा 20अ की उपधारा (4) के अधीन दैनिक सामाचार पत्रों, अर्थात्: “अमर उजाला”, और “द टाइम्स ऑफ़ इंडिया” में तारीख 10 जनवरी 2026 को प्रकाशित किया गया था;

और, इस परियोजना में प्राप्त सभी अक्षेपों का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया है

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषण करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

यह और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

और, यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 20 (च) की उपधारा (04) के अनुसरण में उर्पयुक्त वर्णित भूमि में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से या किसी अभिकर्ता या विधि व्यवसायी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी अर्थात्: विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मीरजापुर / (सिंचाई) के समक्ष अपना दावा इस अधिसूचना के प्रकाशन के आगामी 20 दिवस में सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में चुनार तहसील के अंतर्गत 01 गांव का सक्षम प्राधिकारी अर्थात्: विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मीरजापुर / (सिंचाई) के अधीन विशेष रेल परियोजना, अर्थात् प्रयागराज – पं दीन दयाल उपाध्याय, तीसरी रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (150 किमी) के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं	ग्राम का नाम	प्लॉट सं०	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (हे०)	भू-स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उस्मानपुर	171	निजी	कृषि	0.1935	सुखू पुत्र सुदडी
						कल्लू पुत्र सुदडी
						शारदा देवी पत्नी स्व० शंकर
						खिचडू पुत्र सखी
						उमा पुत्र सखी
						शान्ती पत्नी सुरेश
						रमेश पुत्र चुलबुल
						अमरजीत यादव पुत्र स्व० रामधनी
						सच्चन यादव पुत्र स्व० गोपी
						पप्पु यादव पुत्र स्व० गोपी
						राजेश यादव पुत्र स्व० गोपी
						सन्तोष यादव पुत्र स्व० गोपी
						पार्वती देवी पत्नी स्व० गोपी
						अशोक यादव पुत्र स्व० बेचन

						आरती पाण्डेय पत्नी रत्नेश कुमार पाण्डेय
						राज कुमार पुत्र मिठाईलाल
				योग	0.1935	

[इ.फा.सं. एन.सीआर.-एच. क्यू.शून्य.सी. ई.एन.जी.(पी. एच 15)/5/2021-ओ/ओ डिप्टी. सी.ई./सी.इला.

(कंप्यूटर सं. 51223) ,दिनांक: 24.11.202]

राजकुमार वानखेड़े, मुख्य प्रशासनिक अधिकारीन /निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 27th January, 2026

S.O. 416(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (North Central Railway, Construction department), Notification number, **S.O. 6089 (E)** dated the **29th December, 2025** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the **27th December, 2025** (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely special railway project of Prayagraj-Pt. Deendayal 3rd line doubling Railway project (150 km) in **District Mirzapur** in the state of Uttar Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “**Amar Ujala**” and “**The Times of India**” Dated **10th Janaury, 2026** under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, all the objections received in this project have been disposed of by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

And, that all persons interested in the above mentioned land in pursuance of sub-section (04) of section 20 (F) of the said Act by the Central Government are hereby informed that they may, personally or through an agent or legal practitioner, be notified by the competent authority **Special Land Acquisition Officer (Irrigation) / Mirzapur**, can submit his claim in the next 20 days from the date of publication of this notification in the office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of Prayagraj-Pt. Deendayal 3rd line doubling Railway project (150 km) **01** village in **Chunar Tehsil** of District **Mirzapur** in the state of Uttar Pradesh under **Special Land Acquisition Officer (Irrigation) / Mirzapur, District Mirzapur** in the State of Uttar Pradesh.

S.N.	Village Name	Plot No.	Type of Land	Nature of Land	Acquired Area (in Hect.)	Land Owner / Beneficiary Name
1	2	3	4	5	6	7
1	Usmanpur	171	Private	Agriculture	0.1935	Sukhu S/o Sudri
						Kallu S/o Sudri
						Sharada Devi W/o Late Shankar
						Khichdu S/o Sakhi

						Uma W/o Sakhi
						Shanti W/o Suresh
						Ramesh S/o Chulbul
						Amarjit Yadav S/o Late Ramdhani
						Sacchan Yadav S/o Late Gopi
						Pappu Yadav S/o Late Gopi
						Rajesh Yadav S/o Late Gopi
						Santosh Yadav S/o Late Gopi
						Parvati Devi W/o Late Gopi
						Ashok Yadav S/o Late Bechan
						Aarti Pandey W/o Ratnesh Kumar
						Rajkumar S/o Mitthai Lal
				Total	0.1935	

[e.F. No. NCR-HQ0CENG(PH 15)/5/2021- O/O Dy CE/C/ALD (Computer No.51223) Dated: 24.11.2021]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Administrative Officer/ (Construction)